

RURAL DEVELOPMENT PROGRAMMES :-

स्वतन्त्रता- प्राप्ति के पश्चात् 1 अप्रैल, 1951 से निर्धारित आर्थिक विकास के माध्यम से ग्रामीण-विकास कार्यक्रमों पर बल दिया जा रहा है। भारत से सामाजिक दमन के साथ प्रगति हो, यह लगभग सभी योजनाओं का मूल उद्देश्य रहा है।

ग्रामीण विकास की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :-

1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी आयोग (MNRGA) :- 1 अप्रैल, 2008

से इस योजना को पूरे देश में लागू कर दिया गया। इस योजना के तहत चयनित जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को एक लक्ष्य को वर्ष में कम से कम 100 दिन की कुशल कामों वाले रोजगार की गारंटी दी जाती है।

2. स्वर्ण जयन्ती ग्राम रोजगार योजना (SJSY) :- इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1979 से हुई। इस योजना के तहत, असीदी रेखा से नीचे के जिन परिवारों को शामिल किया जाता है उनमें 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति, 40 प्रतिशत महिलाओं तथा 10 प्रतिशत विकलांगों के लिए आरक्षण है। योजना के कार्यान्वयन के लिए एक समिति द्वारा प्रतिवर्ष बजट का लक्ष्य तय किया जाता है। समिति में वित्त-

मंत्रालय, नाकार्ड, रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक तथा
ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि
होते हैं।

3. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) :-

केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित प्रधानमंत्री
ग्राम सड़क योजना 25 दिसम्बर, 2000 को
प्रारंभ की गई। इस योजना का उद्देश्य
ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क विहीन गांवों को
कार्यवाही सड़कों से इस प्रकार जोड़ना
है कि सामान्य रूप से 500 से अधिक
आबादी वाले गांव व पहाड़ी जनजातियां
एवं रेगिस्तानी क्षेत्रों में 250 से अधिक
आबादी वाले गांव उपाय में जोड़े जा
सकें।

4. इंदिरा आवास योजना (IAY) :- आवास

जैसी बुनियादी आवश्यकता की पूर्ति के
लिए वर्ष 1985-86 में इंदिरा आवास योजना
को RLEJP की एक उप योजना के रूप में
शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य
अनुसूचित जाति, जनजाति तथा सुबन
वंशुआ मजदूरों को निःशुल्क आवास
उपलब्ध कराना है। इस योजना का
वित्त पोषण केंद्र और राज्यों के बीच
75:25 के अनुपात में किया जाता है।

5. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM):-

इस कार्यक्रम की शुरुआत 12 अप्रैल, 2005 को ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनतम परिवारों को वहीनीय और निरवसनीय गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु की गई थी।

6. अन्नपूर्णा योजना :- निर्धनता रेखा से नीचे जीवन-सापेक्ष ज़रूरत वाले लोगों की सहायता के लिए अन्नपूर्णा योजना। अप्रैल, 2000 से आरंभ हुई।

7. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना :- राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना को अन्तर्गत वाली रेखा से नीचे के वही परिवार को जिन्हें एक मास टर्मिन जमाने वाला हो, उनकी सामान्य मा दुर्घटना से मुक्त होनी पर 100 10,000 डि.म. जार है। मुख्य के समय उनकी उम्र 18 वर्ष से 64 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

8. ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं के प्रावधान की योजना :- 15 अगस्त 2003 से 'पुरा' योजना प्रायोगिक तौर पर सात राज्यों आन्ध्र प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तरा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में शुरू की गई।

9. जवाहर लीजगाट योजना :-

जवाहर राजगार योजना देश का सबसे बड़ा ग्रामीण राजगार कार्यक्रम है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार डोंर आपर्ण राजगार प्राप्त पुरुषों डोंर महिलाओं के लिए अनिश्चित लाभ-पद राजगार का सृजन करना है। इस केन्द्र डोंर शहरी हारा 80:20 के अनुपात में विन पोषित किया जाता है।

10. ग्रामीण राजगार गारुडी कार्यक्रम :-

2 फरवरी, 2006 से प्रारम्भ इस योजना के अन्तर्गत देश के 900 चयनित जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को वर्ष में एक दिन अनुशाल काम वाले राजगार प्राप्त करने का गारुडी उपबिधा है।

The End

Thank you